भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3539

(जिसका उत्तर सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

इत्रों पर जीएसटी

†3539. श्री सुब्रत पाठकः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित इत्र उद्योग पर माल और सेवा कर (जीएसटी) की बढ़ी हुई दरों को कम करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कन्नौज में इत्र उद्योग के व्यवसायियों को आयात-निर्यात में कोई प्रोत्साहन देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसा प्रोत्साहन कब तक दिए जाने की संभावना है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में वित्त राज्यमंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) तथा (ख): कुटीर उद्योगों को उस समय थ्रेशोल्ड आधारित छूट का लाभ मिलता है जब उनका किसी वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार 40 लाख रुपये से कम का होता है। इसके अलावा 1.5 करोड़ तक के कारोबार वाली ईकाइयों को भी कम्पोजीश स्कीम का हक प्राप्त है जिसमें उनके कारोबार पर 1% की दर कर लगाया जाता है। इसके अलावा, जीएसटी परिषद की सिफरिश के आधार पर, इत्र पर जीएसटी की दर को 14.11.2017 से 28% से कम करके 18% कर दिया गया है।

(ग) (घ) तथा (ङ): घरेलू उद्योगों को बराबरी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति प्रदान करने के लिये बजट 2018-19 में इत्र पर आधारभूत सीमाशुल्क को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। निर्यात को जीरो रेटेड बनाया गया है। तदनुसार इनपुट्स पर लगाये जाने वाले कर में निर्यातकर्ताओं को छूट दी गयी है। इसके अलावा इनपुट्स पर लगने वाले आयात शुल्क के एवज में प्रतिअदायगी (ड्रॉबैक भी) दी जाती है। इसके अतिरिक्त मरकेन्डाइज एक्सपोर्ट्स फ्रोम इण्डिया स्कीम (एमईआईएस) के अंतर्गत इत्र के निर्यात पर निर्यात परक प्रोत्साहन की भी अनुमति दी गयी है।

*****